

98

पञ्जाब राजस्व विभाग
जिला 202

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 130)

100
3
2/2/2024

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जिला - मीरवाड़ा

2024/469 ✓

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम माल का खेड़ा की जनाबन्द
सं. 2073-76 खाता संख्या 4 में -

खाता सं. 2073-76 के खाता 4 खातक 231 व
232 खातक 20001 20002 20003 के अलावा खातक
21286 के अलावा खातक
216 खाते खोला करने के लिए

I.C.F.C.I Bank खाता विभाजन
करना चाहता हूँ

कृपया ध्यान देने के लिए

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।


प्रार्थी

प्रशासन गांवों संग अभियान-2021
अभियान-2021

राजस्थान सरकार

खात्यालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान बिजौलिया

--आदेश:-

बिजौलिया प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पुत्र एवं पटवारी माल का खेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान नू-2016 अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में प्राप्त माल का खेडा तहसील बिजौलिया जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 04 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल देनामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जागी है)
(1)	माल का खेडा	04 खसरा-231/22 23426 प्रहरी/12/24/12 (1) मुलान पुत्र भूरा हिस्सा 1/6.	—	ICICI बैंक शाखा - बिजौलिया



(3)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

88/24

दिनांक :- 21/12/2024

तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल देनामद प्राम किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
प्रार्थी श्री मुलान पुत्र भूरा को सूचनार्थ।
नदिम पत्रावली।



(3)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

viral9099@gmail.com